Court Case No - 256/2022.

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल. सं. NCST/DEV-1069/JH/17/2022-RO-RNC (ESDW)

सेवा में,

सुश्री माधवी मिश्रा,
उपायुक्त-सह-जिला मजिस्ट्रेट,
डीसी कार्यालय, छतर मांडू,
रामगढ़, झारखंड
ई-मेल: dc-ramgarh@gov.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलें का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अत: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष **दिनांक 01.12.2022 को 12:00 बजे,** आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एततद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलें का सन्दर्भ:-

संदर्भ 1. सरकार द्वारा 1975 में सेटलमेंट के माध्यम से करमाली जाती के अनुसूचित जनजाती के 16 परिवारों को दी गई 50 डिसिमिल जमीन को धोखे से सी.सी.एल. कंपनी (CCL Company) द्वारा रजरप्पा परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहण करके हड़पने के संबंध मे श्री रमेश करमाली, चितरपुर प्रखण्ड अध्यक्ष, ग्राम व पोस्ट - सांडी, थाना-रजरप्पा, जिला - रामगढ़ (झारखण्ड) का दिनांक 17.03.2020 का अभ्यावेदन।

सन्दर्भ 2: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 18.09.2022.

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 18, नवम्बर, 2022 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया ।

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Government of India
Lok Nayak, Bhawan, New Delhi-110003

मोहर